फैक्स / तत्काल

संख्याः 118 / 1–11–2016– ( ) / 2016

प्रेषक,

जे0पी0 सगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन, महोबा एवं हमीरपुर।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनॉक :: 16 मार्च, 2016

विषयः–बुन्देलखण्ड के जनपदों में सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिये जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता दिये जाने के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना प्रेषित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–255(1) / 1–10–2016–33(24) / 2016, दिनांक 04.03.2016 द्वारा बुन्देलखण्ड के जनपदों में सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिये जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता दिये जाने के संबंध में की गयी कार्यवाही किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2– उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.03.2016 के द्वारा यह भी निर्देश दिये गये थे कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा राहत समिति द्वारा राहत सामग्री का क्रय करके प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जनपद स्तर पर की गयी कार्यवाही की सूचना / विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर आज ही राहत आयुक्त कार्यालय के फैक्स सं0–0522–2238084, 2236305 व ईमेल–rahat@nic.in पर प्रेषित करने का कष्ट करें:–

क्रय समिति द्वारा निविदा निर्गत किये जाने का दिनांक व विवरण	क्रय समिति द्वारा निविदा खोले जाने का दिनांक व विवरण	प्रभावितों / परिवारों की संख्या	उपलब्ध धनराशि का विवरण	अभ्युक्ति

भवदीय,

(जे0पी0 सगर)
विशेष सचिव

42 GO-R-11-r